


न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

ऑर्डर शीट

प्रकरण संख्या ५१/२०१८ अनवान विदेन कुमार बनाम नगरपालिका जोधपुर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
5/6/24	<p>पुसाली प्रेश डुई पुसकारा अधिवक्तापणा उपस्थित है। अपीलधीन आदेश का हलफनामा सिमपण जो पार्टी के पक्ष में जारी पहा विलेख / लीटिड क्रमांक 3598 दिनांक 25-2013 को नगरपालिका बालीतय के पक्ष पारित आदेश क्रमांक 11694 दिनांक 02.01.2018 के पक्ष निरस्त कर दिए हैं।</p> <p>उक्त अपीलधीन आदेश के विरुद्ध अपील पर सिडुवाई का प्रोवाइजर बाबत नगरपालिका अधिनियम 2004 की धारा 73 बी (4) का संवर्धन किया गया। उक्त धारा के तहत नगरपालिका स्वयं के नहीं पहा विलेख को निरस्त कर दिए जाने के आदेश के विरुद्ध सिडुवाई का प्रोवाइजर निदेशक एवं 2-शा-सचिव स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर को नहीं अधिवक्ता दिनांक 25-2022 के सिडुवाई निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर को अधिवक्ता किया गया है।</p> <p>उक्त अधिवक्ता के क्रम में उक्त सिडुवाई को रद्द करने पर प्रस्ताव करते हेतु पार्टी अधिवक्ता को लीटिड नहीं है। पुसाली बाप निरस्तान नम्बर से काग हो LC का रिकॉर्ड लीटिड जारी है।</p>	




संभागीय आयुक्त
जोधपुर